न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला, टोंक
(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0––341/2024

प्रविष्टि दिनांक ––11.7.2024

उनवान

सुन्दरी देवी पत्नी रामप्रताप जाति रेगर निवासी मालपुरा चौड आगरा पोस्ट सुमेल जिला जयपुर राजस्थान। वादी

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला टोंक। प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री रामावतार शर्मा–वकील वादी

निर्णय
वाद पत्र बाबत–दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक–14/10/24

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादिया द्वारा एक वाद पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार वादिया की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि आराजी ख.न. 3743/75, रकबा 7.6131 है वाके ग्राम डांगरथल, तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है, जिसकी वादिया एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार है तथा भूमि को मौके पर काश्त करती चली आ रही है। उक्त आराजी वादिया ने पूर्व खातेदार गंगाराम हरजी पि. शंकरा, छोटी मनभर पुत्री शंकरा, हरकू बेवा शंकरा जाति चमार निवासी थली, तहसील देवली जिला टोंक से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2007 को क्रय की थीं और भूमि पर कब्जा प्राप्त किया था। विक्रयपत्र का नामान्तरकरण भरते समय वादिया का नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा सुन्दरी देवी पत्नी रामप्रताप के स्थान पर सुन्दर देवी पत्नी रामप्रताब अंकित कर दिया जिसके कारण वादिया का नाम सुन्दर देवी इन्द्राज चला आ रहा है। विक्रय पत्र मे भी वादिया का नाम सुन्दरी देवी अंकित है। अतः उक्त भूमि मे वादिया का नाम सुन्दर देवी पत्नी रामप्रताब के स्थान पर सुन्दरी देवी पत्नी रामप्रताप जाति रैगर अंकित किया जावे।

इसके पश्चात वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम डांगरथल, नक्शा ट्रेस, नामान्तरकरण , भामाशाह कार्ड , विक्रय पत्र, आधार कार्ड, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, जिसमे अंकितानुसार ग्राम डांगरथल मे आराजी ख.न. 3743/75 रकबा 7.6131 है0 किस्म बरानी 3 सुन्दरदेवी पत्नी रामप्रताब हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 मालपुरा चौड आगरा रोड पोस्ट सुमेल जिला जयपुर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई हैं। वादिया द्वारा प्रस्तुत किये गये विक्रय पत्र मे वादिया का नाम सुन्दरी देवी अंकित है जबकि नामान्तरकरण मे सुन्दर देवी अंकित है।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की पुष्टि मे जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम डांगरथल, विक्रय पत्र, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत साक्ष्यो का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र मे सुन्दरी देवी पत्नी रामप्रताप जाति रैगर अंकित है और नामान्तरकरण सं0 3792 ग्राम डांगरथल मे सुन्दर देवी पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

रामप्रताब अंकित है इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त त्रुटि विक्रय पत्र का नामान्तरकरण भरते समय हुई है। वादिया के आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड मे भी वादिया का नाम सुन्दरी ही अंकित है। साक्ष्य दस्तावेज से साबित है कि वादिया का सही नाम **सुन्दरी देवी पत्नी रामप्रताप** है। स्पष्ट है कि **"सुन्दरी देवी"** के स्थान पर **सुन्दर देवी** लिखा जाना लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सही किये जाने योग्य है। प्रस्तुत वाद की प्रकति उक्त धारा के परिप्रेक्ष्य मे है जिसके अनुसार दुरूस्त कराने के वादिया अधिकारी है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः वादिया का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार **निवाई** को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम **डांगरथल, तहसील निवाई, जिला टोंक** की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता सं0 1208 (ख.न. 3743/75 रकबा 7.6131 है0) मे अंकित नाम **"सुन्दरदेवी पत्नी रामप्रताब"** के स्थान पर " **सुन्दरी देवी पत्नी रामप्रताप** " शुद्ध कर, तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक** 14/10/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई